CSJ Counsel to Secure Justice

बिलासपुर पुलिस

unicef for every child

# छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में डायवर्जन प्रक्रियाओं के क्रियान्वन की रिपोर्ट

(भाग–1)

बिलासपुर जिले में डायवर्जन कार्यक्रम का प्रारंभ जिला पुलिस, यूनिसेफ एवं सी.एस.जे. (काउन्सेल टू सिक्योर जस्टिस) का एक सराहनीय प्रयास है। निजात अभियान के सामंजस्य में डायवर्जन कार्यक्रम का क्रियान्वयन विधि से संघर्षरत बच्चों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करता है, जिसके तहत बच्चों को विभिन्न गतिविधियों, कार्यक्रमों एवं काउंसलिंग के माध्यम से तथा सरकारी योजनाओं जैसे स्पांसरशिप योजना का लाभ दिलाकर पुनर्वास किया जाता है।

किसी बच्चे को अपराध करने की प्रवृत्ति से विमुख कर अन्य रूचियों में डायवर्ट करने का यह तरीका बेहतर परिणाम देने वाला है जिसे पिछले 07 माह में बिलासपुर में विभिन्न विधि से संघर्षरत बालकों के उदाहरण से देखा गया है।

डायवर्जन कार्यक्रम के तहत किशोर न्याय (बाल सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम 2015 के प्रावधानों से पुलिस एवं अन्य हितधारकों को संवेदनशील किया गया। भविष्य में बिलासपुर जिले में शुरू की गई यह पहल अन्य जिलों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी जिसके माध्यम से बाल अधिकारों से संबंधित सभी प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सके।

**अजय कुमार यादव** भा. पु. से.
आई. जी. , बिलासपुर रेंज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

विधि के साथ संघर्षरत बच्चों का फिर से अपराध की दिशा में उन्मुख होना आमतौर पर देखा जाता है क्योंकि ऐसे बच्चों के लिये आवश्यक काउंसलिंग एवं देखभाल के साधन जिले में उपलब्ध नहीं होते है। इसी संदर्भ में बिलासपुर पुलिस, यूनिसेफ एवं सी.एस.जे. (काउन्सेल टू सिक्योर जस्टिस) द्वारा डायवर्जन कार्यक्रम शुरू किया गया।

दरसअल डायवर्जन कार्यक्रम का विचार सैद्धांतिक तौर पर किशोर न्याय (बाल सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम 2015 में निहित है। जिसके अंतर्गत बच्चों से संबंधित मामलों को औपचारिक अपराधिक न्याय प्रणाली से दूर करने और बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करने हेतु विभिन्न प्रयास शामिल है।

जिले में डायवर्जन कार्यक्रम जून 2020 से 4 थाना सरकंडा, सिविल लाईन, सिटी कोतवाली एवं चकरभाठा में प्रारंभ किया गया जिसमें डायवर्जन प्रशिक्षण, किशोर न्याय (बाल सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम 2015 के प्रावधानों से संबंधित कार्यशाला, काउंसलिंग, प्रमुख हितधारकों की समन्वय बैठक आदि के माध्यम से डायवर्जन के संबंध में संवेदनशील किया गया।

इस दौरान 30 से अधिक विधि से संघर्षरत बच्चों को डायवर्जन प्रक्रियाओं का लाभ मिला जिनका काउंसलिंग, परामर्श एवं स्पांसरशिप योजना के माध्यम से पुनर्वास किया गया।

मुझे उम्मीद है कि यह पहल डायवर्जन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में एक माडल के रूप में विकसित होगी जिसके माध्यम से बाल अधिकारों की सुरक्षा तथा विधि के साथ संघर्षरत बच्चों का पुनर्वास किया जा सके।

**संतोष कुमार सिंह** भा. पु. से.
पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर, छत्तीसगढ़

किशोर न्याय के निरंतर विकसित हो रहे समय में, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों की भलाई सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 में विचलन के सिद्धांत को शामिल करना न्यायपूर्ण और मानवीय समाज को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। यह दृष्टिकोण बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि महत्व देता है, उनके जीवन पर कानूनी प्रक्रियाओं के स्थायी परिणामों को स्वीकार करता है। इन बच्चों को पुनर्वास कार्यक्रमों की ओर मोड़ने पर जोर देकर, अधिनियम समाज में निर्बाध पुर्नएकीकरण की सुविधा प्रदान करना चाहता है।

यूनिसेफ का बाल संरक्षण कार्यक्रम - राज्य सरकार, पुलिस, न्यायपालिका और नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से - बाल संरक्षण और किशोर न्याय दोनों क्षेत्रों में, बच्चों की न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका विस्तार औपचारिक और औपचारिकेतर न्याय प्रणालियों के साथ उनकी बातचीत तक होता है, चाहे वह पीड़ित, उत्तरजीवी, गवाह या किसी अपराध के आरोपी हों। इन कमजोर समूहों के कानूनी सशक्तिकरण पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित है, जो यूनिसेफ के प्रयासों की धुरी के रूप में कार्य करता है।

यूनिसेफ किशोर न्याय कानूनों के कार्यान्वयन में पूरे छत्तीसगढ़ में पुलिस, विशेषकर बिलासपुर पुलिस का समर्थन कर रहा है। कार्यशालाओं, पुलिस स्टेशन के दौरों, मामले की निगरानी और प्रशिक्षण सत्रों को शामिल करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से, अधिनियम में निहित सिद्धांतों को साकार करने के लिए अथक प्रयास किया गया है। सामुदायिक भागीदारी पर जोर, बाल-मैत्रीपूर्ण पुलिस स्टेशनों की स्थापना, और सरकार एवं नागरिक समाज के बीच सहयोग की सुविधा, कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के पुनर्वास और पुर्नएकीकरण में प्रभावी हस्तक्षेप की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

यह पुस्तिका यूनिसेफ और बिलासपुर पुलिस के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है, जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में डायवर्जन प्रक्रियाओं की व्यापक पृष्ठभूमि और संदर्भ पर प्रकाश डालती है। किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना, बच्चों को कलंक से बचाना, और उनके पुनर्वास और समर्थन में सहायता करते हुए आपराधिक रिकॉर्ड के अधिग्रहण को रोकना है।

बिलासपुर पुलिस द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता सराहनीय है और एक ऐसे समाज को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमारे बच्चों के सुरक्षित और आशाजनक भविष्य को प्राथमिकता देता है।

**जॉब जकारिया**
**यूनिसेफ प्रमुख, छत्तीसगढ़**

# सारांश

यह रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में डायवर्जन प्रक्रियाओं की पृष्ठभूमि और संबंधित विभिन्न प्रयासों का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ जिले में बाल अधिकारों के लिए काम करने वाले विभिन्न हित-धारकों के बीच आपसी समन्वय से बच्चों को किशोर न्याय प्रणाली के बारे में जागरूक बनाने की साझी पहल को भी शामिल किया गया है। इस पहल के लिए बिलासपुर जिले का चुनाव एक रणनीति के तहत जनसंख्या की विविधता और विधि के साथ संघर्षरत बच्चों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया, जो इस कार्यक्रम के पायलट की दृष्टि से एक आदर्श स्थिति थी। यूनिसेफ (UNICEF), छत्तीसगढ़ पुलिस और काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस (सीएसजे) संस्था के साथ मिलकर बिलासपुर जिले को डायवर्जन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को लेकर एक मॉडल के लिए रूप में विकसित करने का आकांक्षी है ताकि युवा अपराधियों को सहायता और परामर्श के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके।

यह पहल बाल अधिकारों की सुरक्षा और बच्चों के पुनर्वास को लेकर एक जरूरी पहल को प्रस्तुत करती है ताकि न्याय और बाल संरक्षण के सिद्धांतों की रौशनी में बच्चों के उज्चल भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

# बिलासपुर जिले में
# डायवर्जन कार्यक्रम
# की आवश्यकता

एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में बिलासपुर जिले का चुनाव प्रमुख हित-धारकों के बीच चर्चा के माध्यम से सामने आया, इस विचार-विमर्श की प्रक्रिया में बिलासपुर जिले के पुलिस अधीक्षक की भी भागदारी रही। इस दौरान सबसे प्रमुख चिंता विधि के साथ संघर्षरत बच्चों में फिर से अपराध करने की प्रवृत्ति (अपराध व्यसन) के रूप में सामने आई। इस मुद्दे की तरफ ध्यान देने के लिए और किशोर मामलों को लेकर त्वरित रूप से प्रभावशाली जवाबदेही वाली व्यवस्था बनाने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ) को एक प्रमुख घटक के रूप में स्वीकार किया गया। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की परिभाषा के अनुसार सभी किशोर मामलों में एसजेपीयू व सीडब्लूपीओ प्रथम पंक्ति की सक्रिय भूमिका में होते हैं और 2016 के नियम उपरोक्त मामलों को संभालने के लिए इनके क्षमतावर्धन को महत्वपूर्ण मानते हैं।

बिलासपुर में युवाओं को नशे की प्रवृत्ति से बचाव हेतु जारी 'निजात' अभियान, इस कार्यक्रम के पायलट हेतु एक सर्वश्रेष्ठ अवसर के रूप में सामने आया। स्थानीय पुलिस स्टेशन पर दर्ज़ होने वाले अधिकांश मामलों में नशे की लत एक प्रमुख मुद्दे के रूप में दिखाई देती है। 'निजात' अभियान के सामंजस्य में डायवर्जन कार्यक्रम वैधानिक पहलू पर ध्यान देने के साथ-साथ उन चुनौतियों के भी समाधान कोशिश कर रहा है जो बिलासपुर में इस तरह के अपराधों को बढ़ावा देती हैं।

# डायवर्जन क्या है?

डायवर्जन कार्यक्रम का विचार प्रमुखता से किशोर न्याय (बाल सुरक्षा एवं देखभाल) अधिनियम, 2015 में निहित है, जो अपने युवा नागरिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की राह बनाते हैं जिसमें उनकी बेहतरी सबसे प्राथमिक महत्व रखती है। डायवर्जन में बच्चों/किशोरों से संबंधित मामलों को औपचारिक 'आपराधिक न्याय प्रणाली' से दूर करने और बच्चों को मुख्यधारा में शामिल करने हेतु आमतौर पर कार्यक्रमों व गतिविधियों की तरफ लेकर जाना शामिल है।

किसी बच्चे को कलंकित करने व अपराध करने की प्रवृत्ति से बचाने का यह तरीका बच्चों के लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। इसके साथ ही साथ यह सामाजिक सुरक्षा के अनुकूल और लागत की दृष्टि से भी प्रभावशाली है। किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान विशेषकर छोटे-मोटे अपराधों के संदर्भ में अपनी प्रकृति में डायवर्जन की अपेक्षा रखते हैं। हाल के वर्षों में, वैश्विक वैधानिक प्रारूपों में बच्चों के विधि के साथ संघर्ष वाली स्थितियों में बाल अधिकारों की सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने पर जोर दिया है। बच्चों को संस्थाओं में पहुँचाने का लक्ष्य उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु सकारात्मक ढंग से मदद करना है। हालांकि विभिन्न रिपोर्ट्स में इस बिन्दु को निरंतरता के साथ दर्ज़ किया गया है कि हिरासत का बच्चों के स्वास्थ्य और विकास पर विपरीत असर पड़ता है, इसमें परिवार से अलगाव, हिंसा और बुलिंग (डराने-धमकाने) वाली स्थिति का सामना करने, अपनी सुरक्षा, भविष्य और परिवार की बेहतरी की चिंता जैसे बिन्दु भी शामिल हैं। ऐसे अनुभव मानसिक चुनौतियों जैसे अवसाद, चिंता और आत्महत्या के विचार की तरफ ले जाने वाले हो सकते हैं।

# बिलासपुर का संदर्भ

किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) मानक नियम, 2016 की नियम-8 के अनुसार 'जघन्य अपराधों' अथवा ऐसे अपराध जिसमें वयस्कों की भागीदारी हो, इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) नहीं दर्ज़ की जानी चाहिए। ऐसे मामलों में बच्चों पर लगाये गये कथित आरोप को सामान्य डेली डायरी में लिखा जाना चाहिए, और उसके सामाजिक पृष्ठभूमि की रिपोर्ट (एसबीआर) को किशोर न्याय बोर्ड को भेजा जाना चाहिए। हालांकि, बाल अधिकार प्रकोष्ठ, अपराध अन्वेषण विभाग और पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़ से मिले आँकड़ों के अनुसार इस नियम का राज्य सरकार का विभिन्न इकाइयों में पालन नहीं किया गया। इसके कारण केवल जून, 2023 के दौरान पूरे राज्य में 1422 एफआईआर दर्ज़ की गईं। वहीं अकेले बिलासपुर में 138 ऐसे मामले में एफआईआर दर्ज़ की गई।

एक प्रारंभिक विश्लेषण में इस नियम की अनुपालना न होने के कारणों पर ग़ौर किया गया, जिसमें जागरूकता का अभाव भी एक कारण के रूप में सामने आया। गंभीर और छोटे दोनों तरह के अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) न दर्ज़ करने को डायवर्जन प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर पूछताछ से संबंधित बच्चे को परामर्श, सामुदायिक सेवा या अन्य संबंधित कार्यक्रम या सेवा में भेजा जाता है, किसी संस्था में भेजने की बजाय तो यह भी डायवर्जन का ही हिस्सा है। बिलासपुर में विभिन्न हित-धारकों के साथ 'निजात' अभियान काफी सक्रियता के साथ ज़मीनी स्तर पर युवाओं के नशे का प्रयोग के खिलाफ संवेदनशील बनाने का काम कर रहा है।

न्याय प्रणाली के साथ काम करते समय एक प्रमुख चिंता विधि के साथ संघर्षरत बच्चों में फिर से अपराध करने की प्रवृत्ति या अपराध व्यसन, इसे एक ख़ास तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति की संज्ञा दे सकते हैं। किशोर न्याय अधिनियम में जिस तरह के पुनर्वास और पुन: सामाजिक एकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसमें बच्चों का कार्यक्रमों से सतत जुड़ाव बनाते हुए सहयोग देना और सर्वांगीण पुनर्वास पर ध्यान देना, कौशल विकास, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हेतु सहयोग, सामुदायिक भागीदारी वाले कार्यक्रमों में शामिल करना है, जो फिर से अपराध की तरफ मोड़ने वाले दुष्चक्र को तोड़ने के लिए बेहद जरूरी है। डायवर्जन एक रणनीति के रूप में बच्चों को औपचारिक न्याय प्रणाली से दूर करता है, फिर से अपराध के लिए मोड़ने से बचाने वाले तरीकों पर प्रभावशाली सकारात्मक असर डालता है, इनमें कुछ अन्य स्थितियों जैसे रिहाई के बाद सहयोग का अभाव, अवसरों तक सीमित पहुंच, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे, नशे की लत का शिकार होना और सामाजिक बदनामी का डर इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। हर्ष * (केस स्टडी A) जिसे एक मामूली अपराध के कारण एक महीने तक संरक्षात्मक अभिरक्षा में रहा, उसके लिए अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ाव बनाना बहुत कठिन था और उसके मानसिक स्वास्थ्य पर सामाजिक बदनामी के डर का साफ असर पड़ा, जिसने उसे नशे की लत की तरफ जाने वाली परिस्थितियां बनाईं। इसके विपरीत डायवर्जन हर्ष जैसे बच्चों और किशोरों को पहली घटना के समय ही संस्थागत रास्ते पर जाने से बचने का एक वैकल्पिक रास्ता देता है और उपरोक्त चुनौतियों को आसान भी बनाता है। इसके लिए हित-धारकों को संवेदनशील बनाना और किशोर न्याय अधिनियम के ही अंतर्गत बाल मित्र प्रक्रियाओं को अपनाना, किशोर न्याय प्रणाली के अंतर्गत पुनर्वास की प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग से सुगम बना सकता है।

# प्रमुख हितधारक

किशोर न्याय अधिनियम एक सामाजिक-वैधानिक कानून है इसलिए इसके उद्देश्य और क्रियान्वयन के तरीके अन्य कानूनों से अलग हैं। यही कारण है कि पूरी किशोर न्याय प्रणाली विभिन्न हित-धारकों के आपसी सहयोग पर आधारित अंतर्विषयक तरीके से काम करती है। डायवर्जन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न हित-धारकों का एक व्यवस्थित विश्लेषण किया गया, जिसमें उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों को इस सामूहिक पहल में स्पष्ट किया गया। इसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियां, विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण इकाई, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामुदायिक नेतृत्वकर्ता और नागरिक समाज संस्थाएं शामिल हैं।

# कार्यक्रम की रणनीति

डायवर्जन कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत 1 जून 2023 को हुई। इसमें पूरे जिले से विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ) ने प्रतिभाग किया। यह कार्यक्रम के लिए रणनीतिक रुप से जिले के चार पुलिस थानों सिविल लाईन, सरकण्डा, चकरभाठा और सिटी कोतवाली का चुनाव किया गया, जहाँ पर किशोर मामले तुलनात्मक रुप से ज्यादा संख्या में आते हैं। यह चुनाव कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लक्षित तरीके से काम करने की रणनीति को रेखांकित करता है।

कार्यक्रम की रणनीति में केवल जागरुकता बढ़ाना ही नहीं है। इसमें किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू), बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ) और समुदाय के नेतृत्वकर्ताओं के क्षमतावर्धन को भी एक प्रमुख घटक के रुप में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हित-धारकों को विधि के साथ संघर्षरत बच्चों से जुड़े मामलों की चुनौतियों का समाधान करने हेतु जरुरी कौशल और ज्ञान से संपन्न बनाना भी रणनीति का हिस्सा है। इसके साथ-साथ कार्यक्रम की रुपरेखा में डायवर्जन की प्रक्रियाओं को भी शामिल किया गया है, इसमें बच्चों, उनके परिवारों और अन्य हितधारकों को पुनर्वास की प्रक्रिया में सक्रियता से शामिल करना है ताकि जिले की युवा आबादी में दीर्घकालीन सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों को मजबूती देने का काम किया जा सके।

# क्षमतावर्धन कार्यशाला

यूनीसेफ और काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस (सीएसजे) संस्था बिलासपुर जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों (सीडब्लूपीओ) के साथ डायवर्जन प्रक्रिया से संबंधित कार्यशालाओं के जरिये क्षमतावर्धन हेतु सक्रियता से काम कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं का प्रमुख उद्देश्य किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) आदर्श नियम, 2016 में लिखी प्रक्रियाओं की अनुपालना और व्यावहारिक रुप से पुलिस थानों में इनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना था।

इस संदर्भ में सहयोग प्रदान करने हेतु यूनीसेफ और सीएसजे द्वारा बिलासपुर जिले के चार चयनित थानों में नियमित अंतराल पर विजिट की गई। इस विजिट का उद्देश्य डायवर्जन के विशिष्ट संदर्भ में प्रक्रियागत पहलुओं को समझना और उनका विश्लेषण करना था। यह भागीदारी केवल विजिट तक ही सीमित नहीं थी, इसके अंतर्गत टीम ने चार पुलिस थानों द्वारा स्थानांतरित किये गये बच्चों के 30 मामलों को सक्रियता से देख भी रही है।

इस पहल के अंतर्गत दो जिला स्तरीय और दो थाना स्तरीय प्रशिक्षण सत्रों को शामिल किया गया जो 1 जून 2023 और 12 सितंबर 2023 को आयोजित किये गये। इसके साथ-साथ समुदाय के सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने पर केंद्रित प्रयास भी किये गये ताकि लोगों में जागरूकता का प्रसार किया जा सके और सहयोग के प्रयासों को गति प्रदान की जा सके। इन चार चयनित थानों में कार्यरत पुलिस अधिकारियों को पूरे राज्य में चयनित 117 बाल मित्र थाने से संबंधित अतिरिक्त प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया। इनको बच्चों के साथ प्रभावशाली ढंग से काम करने की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए फील्ड स्तर पर भी जरूरी सहयोग प्रदान किया गया।

# समन्वय बैठक

पहली समन्वय बैठक 18 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई थी, जिसका प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न सरकारी और नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) के हितधारकों को एक मंच पर चर्चा और रणनीतिक योजना निर्माण के लिए साथ लाना था। ताकि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और बिलासपुर जिले में विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए होने वाली पहल और समाज में फिर से समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। यह बैठक विभिन्न योजनाओं और बच्चों के लिए संचालित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सूचनाओं तक पहुंच और समझ निर्माण की दृष्टि से काफी उपयोगी रही। इसमें विभिन्न विभागों जैसे पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, महिला एवं बाल विकास (डब्लूसीडी) विभाग और विभिन्न ग़ैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने संवाद में हिस्सा लिया। इस चर्चा में बाल भिक्षावृत्ति, सड़क पर रहने वाले बच्चों, बाल मजदूरों, विद्यालय में पढ़ने वाले और विद्यालयी शिक्षा से वंचित बच्चों समेत दिव्यांग बच्चों के मुद्दे प्रमुखता के साथ सामने आए।

इस बैठक के दौरान अधिकारियों ने हस्तक्षेप की बहुआयामी प्रकृति व जरूरत को रेखांकित किया ताकि बच्चों की बेहतरी से संबंधित विभिन्न आयामों को समग्रता के साथ शामिल किया जा सके। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि पुलिस विभाग के लोगों को ज़मीनी स्तर पर बच्चों के पुनर्वास हेतु क्रियान्वित होने वाले विभिन्न प्रयासों की बेहतर समझ बनाने का अवसर मिला। इस बैठक में बच्चों को विधिक प्रणाली से डायवर्जन की प्रक्रिया में शामिल करने और केवल दण्डात्मक उपायों की बजाय समग्रता में उनके पुनर्वास को सुनिश्चित करने के महत्व पर साझी सहमति बनाने में मदद मिली। इसके साथ ही बच्चों के पुनर्वास के लिए मिलकर काम करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को समाज की मुख्यधारा में शामिल करने हेतु होने वाले प्रयासों को गति देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

# बाल केंद्रित कार्य

1 जून से 30 नवंबर 2023 के बीच सिविल लाईन, सरकण्डा, चकरभाठा  और सिटी कोतवाली थानों की 147 विजिट की गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों को कथित तौर पर विधि के साथ संघर्षरत बच्चों के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करन में सहयोग करना था। इन सभी चार थानों को नियम-8 के अंतर्गत निर्धारित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी), चेकलिस्ट और सभी जरूरी फार्म एक फाइल के साथ उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही साथ उनको सलाह दी गई थी कि जिस जगह पर बच्चों के साथ बातचीत होनी है, उसे एक बाल मित्र रूम के रूप में विकसित करें। ताकि बच्चे बातचीत की प्रक्रिया में सहज महसूस करें।

| पुलिस थाना | सिविल लाइन | कोतवाली | सरकण्डा | चकरभाठा | कुल विजिट |
|---|---|---|---|---|---|
| जून | 04 | 04 | 03 | 01 | 12 |
| जुलाई | 08 | 11 | 09 | 06 | 35 |
| अगस्त | 07 | 12 | 14 | 05 | 37 |
| सितंबर | 07 | 10 | 10 | 02 | 29 |
| अक्टूबर | 05 | 06 | 05 | 03 | 19 |
| नवंबर | 03 | 06 | 04 | 02 | 15 |
| कुल विजिट | 34 | 49 | 45 | 19 | 147 |

*नोट – इन चार पुलिस थानों के अतिरिक्त तोरवा, बिलहा, पचपेड़ी और कोटा पुलिस थाने के अधिकारियों को भी सहयोग प्रदान किया गया जिन्होंने नियम-8 और किशोर न्याय आदर्श नियम , 2016 को लेकर सहयोग की अपेक्षा की थी।*

कुल 30 बच्चों के मामले पुलिस द्वारा रेफर किये गये, इनमें से 24 सक्रिय मामले हैं जिनके लिए नियमित रुप से सहयोग की आवश्यकता है। चार बच्चे वर्तमान में मादक द्रव्यों का अलग-अलग स्वरूप में सेवन कर रहे हैं, जिसके लिए चिकित्सकीय मदद की जरुरत है, लेकिन जिले में संसाधनों के अभाव के कारण ऐसे बच्चों तक उपयुक्त सहायता नहीं पहुंच पा रही है। वर्तमान में, बच्चों के साथ बातचीत और परामर्श के माध्यम से पुनर्वास की तैयारी का कार्य जारी है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी देखभाल सुनिश्चित करने का प्रयास हो रहा है। 30 रेफर किये गये बच्चों में से 15 विद्यालय जा रहे हैं, 2 बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जरुरत है। एक बच्चे को स्पांसरशिप योजना से जोड़ा गया है, और चार अन्य बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों से जोड़ने के प्रयास हो रहे हैं।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी के साथ प्रत्येक माह बैठक होती है। वहीं परिवीक्षा अधिकारी के साथ किसी मामले की वर्तमान स्थिति को समझने और सरकारी योजनाओं के साथ बच्चों को जोड़ने की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु नियमित अंतराल पर बैठकें होती हैं। इसके साथ ही किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के साथ लगातार संवाद होता है, ताकि किशोर न्याय से संबंधित प्रक्रियाओं अनुपालन बच्चों से जुड़े व्यक्तिगत मामलों के संदर्भ में किया जा सके और साथ ही किशोर न्याय आदर्श नियम, 2016 में निर्देशित बाल मित्र प्रक्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ भी बातचीत हुई और एक संक्षिप्त प्रशिक्षण का आयोजन पैरा-लीगल वालंटियर के लिए भी किया गया जो चार पुलिस थानों के साथ उन बच्चों को सहयोग करने के लिए काम कर रहे थे।

केस स्टोरी

# हर्ष

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

17 वर्षीय हर्ष का मामला हमारे पास नशीले पदार्थों के सेवन और चोरी में शामिल होने के कारण रेफर किया गया था। हर्ष को अपने माता-पिता की मृत्यु के बाद बेहद मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और वह अपनी चाची और चार भाई-बहनों के साथ रहता है। वह पहले बिलासपुर और रायपुर में  संप्रेक्षण गृह (एक बाल देखरेख संस्थान जहां विधि के साथ संघर्षरत बच्चे अस्थायी रुप से अपनी देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए रह सकते हैं, जबतक उनका मामला लंबित है) में सुरक्षात्मक देखरेख में रहा। उसके मामले को पूर्व के जिलों में निपटान कर दिया गया था, लेकिन उसे सितंबर 2023 में बिलासपुर जिले में पुलिस द्वारा छोटी-मोटी चोरी में संदिग्ध संलिप्तता के लिए फिर से पकड़ा गया था।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

प्रारंभ में हर्ष की चाची (उनकी वर्तमान कानूनी अभिभावक) उसे घर में वापस रखने के लिए कतई तैयार नहीं थीं और उसे संस्थान में ही रखने के लिए कहा। हालांकि, कई सत्रों की बातचीत हर्ष और उसकी चाची से होने के बाद दोनों की सहमति परिवार में साथ रहने के लिए मिली। हर्ष ने 7 वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों और भावनात्मक परेशानी के कारण उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उसकी पढ़ाई अधूरी है और वह फिर से पढ़ने का इच्छुक भी नहीं है। कई दौर की बातचीत से हर्ष को अपनी भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिली और अब वह किसी व्यावसायिक कोर्स में नामांकन के लिए सोच रहा है।

## सकारात्मक प्रभाव

हम हर्ष के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और उसे अपनी भावनात्मक जरूरतों की पहचान का अवसर दे रहे हैं। हर्ष मानता है कि दोस्तों के दबाव की वजह से उसे नशे का सेवन करना पड़ा और बिना नशे का सेवन किये वह अपनी वास्तविक परिस्थितियों का सामना करने में परेशानी महसूस कर रहा है। उसे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी का अहसास हुआ और अब वह परिवार को आर्थिक तौर पर मदद करना चाहता है, अब उसे तत्काल आर्थिक मदद की जरूरत है ताकि वह व्यावसायिक कोर्स के माध्यम से अपने भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। इस संबंध में किशोर न्याय बोर्ड के साथ पहल और स्पांसरशिप योजना के बारे में जानकारी देने के बाद हर्ष के मामले को बोर्ड से निपटान कर दिया गया। ताकि वह स्पांसरशिप योजना का लाभ उठा सके, जिसकी प्रक्रिया अभी जारी है।

## भविष्य के लक्ष्य

- हर्ष को नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्ति के लिए प्रतिबद्धता के साथ उपचार की आवश्यकता है ताकि वह फिर से मादक पदार्थों का सेवन न करे। इसके साथ ही उसके लिए नियमित परामर्श की सिफारिश की जाएगी, जिससे वह फिर से परेशानी में न पड़े।

- यह देखते हुए कि अधिकांश व्यावसायिक कार्यक्रम वयस्कों के लिए हैं, और बच्चों के लिए व्यक्तिगत रुप से चलने वाले कार्यक्रम नहीं हैं, हम उन संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो हर्ष को व्यावसायिक प्रशिक्षण से जोड़ सकें।

# तेजस

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

17 वर्ष का तेजस  अपने माता-पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता है। उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर हैं और उसकी बहन विद्यालय में पढ़ने जाती है। तेजस 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था, लेकिन वह डीजे बनना चाहता है और उसने इस सिलसिले में काम करना शुरु कर दिया। उसकी नई नौकरी से उसे पैसे मिल रहे थे, लेकिन इस काम से पढ़ाई में उसकी रुचि कम हो रही थी, इसके कारण उसने इस साल पढ़ाई छोड़ने का निर्णय किया। स्कूल छोड़ने के बाद तेजस डीजे संबंधी अपना काम जारी रखने के साथ-साथ नशे का सेवन करने लगा। अपने हमउम्र लोगों से नशीला पदार्थ हासिल करने के लिए उसने कथित तौर पर चोरी और कुछ निर्माणाधीन भवनों से निर्माण सामग्री को बेचना शुरु कर दिया जिससे वह नशीले पदार्थ के सेवन को जारी रखा।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

तेजस की माता से हमें पता चला कि उसने पढ़ाई छोड़ दी है और अब वह वापस पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहता। लगातार बातचीत और अनुश्रवण (फॉलो-अप) के बाद तेजस ने देर रात में घर से बाहर जाना छोड़ दिया है और अपना अधिकांश समय घर पर ही बिताता है। तेजस को रोजगार के ऐसे अवसर दिलाने के प्रयास किये गये हैं जो उसकी रुचि से मेल खाते हों। इस सिलसिले में अलग-अलग संस्थाओं से बात हो रही है ताकि उसके लिए एक वैकल्पिक आय के स्त्रोत की व्यवस्था की जा सके और उसे काम के जरिये एक व्यस्तता भी मिलेगी।

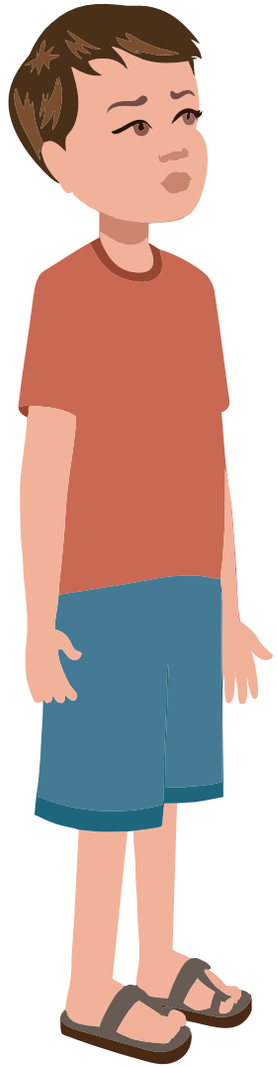

## भविष्य के लक्ष्य

- हमारा प्राथमिक उद्देश्य है कि तेजस अपनी पढ़ाई पूरी करे, व्यावसायिक पाठ्यक्रम या मुक्त विद्यालय के माध्यम से।
- तेजस को नशा-मुक्ति के लिए उपचार की आवश्यकता है ताकि वह नशीले पदार्थों का सेवन न शुरु करे, इसके साथ ही उसके लिए नियमित परामर्श की सिफारिश की जाएगी।
- यह देखते हुए कि अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम वयस्कों के लिए हैं, और बच्चों के लिए व्यक्तिगत रुप से चलने वाले कार्यक्रम नहीं हैं, हम उन संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो तेजस को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ सकें।

# तरुण

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

सरकण्डा पुलिस थाने पर विजिट के दौरान, तरुण को तीन अन्य बच्चों के साथ चोरी के संदेह में लाया गया था। संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से यह मामला डायवर्जन कार्यक्रम में तकनीकी विशेषज्ञ रामनारायण वर्मा के पास आया। इस सिलसिले में लगातार प्रयासों के बाद पता चला कि तरुण के माता-पिता का हाल ही के महीनों में तलाक हुआ है। जीवन की इस घटना का तरुण के ऊपर गहरा असर पड़ा और उसने अपने दोस्तों के साथ नशीले पदार्थों का सेवन शुरु कर दिया, जो उसे इस आदत के लिए पैसे देते थे। जब तरुण अपने पिता के साथ रहता था तो वह नियमित स्कूल जाता था। हालांकि, उसके नशीले पदार्थों के सेवन की बढ़ती लत में सिगरेट और गांजा भी शामिल हो गये, इससे उसके व्यवहार और शारीरिक सेहत पर गहरा असर पड़ा।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

तरुण ने आठवीं कक्षा तक पढ़ाई की है और उसको स्कूली शिक्षा में दाखिले के कई प्रयास भी किये गये। हालांकि, तरुण ने पढ़ाई जारी रखने को लेकर अपनी अनिच्छा जाहिर करते हुए मुक्त विद्यालयी शिक्षा से अपनी शिक्षा को जारी रखने में रुचि दिखाई। लगातार बातचीत के बाद उसने अपने परिवार को आर्थिक तौर पर मदद करने की इच्छा के बारे में बताया। ताकि वह परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके और इसके लिए कोई रोजगार पा सके। लेकिन दुर्भाग्य से, नशे के सेवन को लेकर जारी संघर्ष के कारण तरुण किसी भी फैसले पर अमल करने में चुनौती का सामना कर रहा है।

कुछ सप्ताह के लिए तरुण की माता ने उसके लिए पास के जिले में एक काम खोजा, जहाँ उसे काम करने और त्योहार के दौरान घर आने की सुविधा मिली। ऐसी स्थिति में फोन के माध्यम से अनुश्रवण की प्रक्रिया पूरी की गई जिसमें तरुण से उसके काम और भविष्य में पढ़ाई जारी रखने को लेकर बातचीत की गई। वर्तमान में तरुण अपनी माता के पास रहने के लिए वापस आ गया है और उसके अपने शहर में ही कोई काम खोजने में मदद के प्रयास जारी हैं।

## सकारात्मक प्रभाव

तरुण के लिए सहायता करने वाली रणनीति अपनाई गई। उसके घर पर प्रत्येक सप्ताह दो बार विजिट की जाती थी और उसकी माता को साथ आवश्यकतानुसार नियमित संपर्क रखा गया। इसके कारण, तरुण की देर रात में घर से निकलने वाली आदत में बदलाव हुआ और वह अब जल्दी घर आ जाता है। वह अपनी माँ से पैसों की माँग करके उनको परेशान भी नहीं करता है।

## भविष्य के लक्ष्य

- हमारा प्राथमिक लक्ष्य है कि तरुण अपनी शिक्षा पूरी करे, किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में या मुक्त विद्यालय के माध्यम से।
- तरुण को नशे के सेवन से मुक्ति के लिए नियमित उपचार की आवश्यकता है। इसके साथ ही उसके लिए नियमित परामर्श की सिफारिश की जाएगी ताकि उसे अपने सकारात्मक प्रयासों के लिए प्रोत्साहन और खुद पर भरोसा करने में मदद मिले।
- यह देखते हुए कि अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम वयस्कों के लिए हैं, और बच्चों के लिए व्यक्तिगत रुप से चलने वाले कार्यक्रम नहीं हैं, हम उन संगठनों के साथ बातचीत कर रहे हैं जो तरुण को व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जोड़ सकें।

# उदित और यश

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

उदित की उम्र 15 वर्ष है। वह अपने माता-पिता और दो भाइयों के साथ रहता है और वर्तमान में नौवीं कक्षा में पढ़ रहा है। उदित को 13 वर्षीय यश के साथ मिलकर छेड़छाड़ करने के संदेह में पुलिस थाने लाया गया था। यश अपने माता-पिता के साथ रहता है, उसकी बड़ी बहन स्नातक की पढाई कर रही है और एक छोटा भाई छठीं कक्षा में पढ़ रहा है। उसके पिता एक निजी स्कूल में गार्ड की नौकरी करते हैं और वहीं पर रहते हैं जबकि माँ एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती हैं। इस मामले में जाँच अधिकारी को फार्म-2 की मदद से परिवार को सुपुर्द करने को प्रोत्साहित किया गया (इसमें माता-पिता या अभिभावक जाँच पूरी होने तक अंतरिम अभिरक्षा के लिए एक लिखित सहमति देते हैं), हालांकि बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया था जहाँ से उनको संप्रेक्षण गृह में भेजने का आदेश दिया गया जबतक सामाजिक जाँच रिपोर्ट (एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें बच्चे की आर्थिक, सामाजिक, मनो-सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य घटकों पर आधारित आवश्यक सूचना शामिल होती है और इससे बोर्ड को सूचना के आधार पर तथ्यात्मक निर्णय लेने में मदद मिलती है) नहीं आ जाती।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

हम जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के परिवीक्षा अधिकारी से मिले और इस बात को प्राथमिकता में शामिल करने का अनुरोध किया ताकि बच्चों का संस्थाकरण की दिशा में कम से कम समय में जाना संभव हो सके। संप्रेक्षण गृह में बच्चों और परिवीक्षा अधिकारी से बात हुई ताकि बच्चों को विद्यालय की पुस्तकें उपलब्ध कराई जा सकें और उनकी पढ़ाई जारी रहे। परिवार के साथ अनुश्रवण हेतु विजिट की गई ताकि यह सुनिश्चित कियाजा सके कि परिवार के माहौल बच्चों के लिए विकास और सेहत के लिए अनुकूल बना रहे, इससे पता चला कि बच्चे नियमित रूप से विद्यालय जा रहे हैं।

प्रधान मजिस्ट्रेट ने जाँच अधिकारी को भविष्य के ऐसे मामलों में नियम 8 (1) के तहत काम करने के लिए निर्देशित किया और बच्चों को पुलिस थाने स्तर पर ही जमानत देने की बात कही। इस मामले का निपटान कर दिया गया और दोनों बच्चे परिवार में वापस लौट गये हैं।

*उदित के अभिभावकों ने बताया कि अनुश्रवण की विजिट से बहुत मदद मिली है और अब वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताने लगा है और उन बच्चों से दूर है जिसने उनको हानि पहुंचाई थी।*

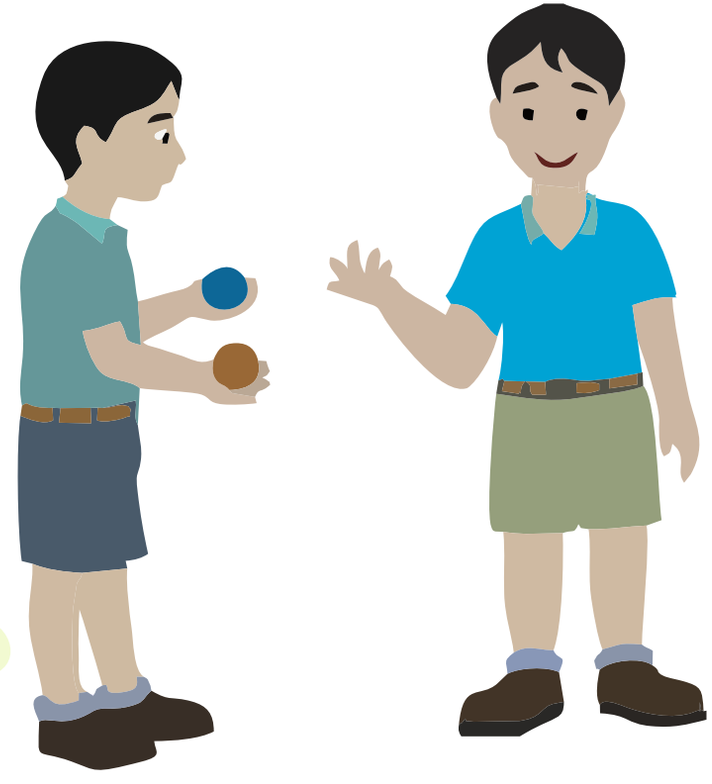

## भविष्य के लक्ष्य

- नियमित अनुश्रवण विजिट की जायेगी ताकि उदित और यश अपनी पढ़ाई जारी रखें
- यश के परिवार में ऐसा सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करना ताकि उसका विकास स्वाभाविक ढंग से हो सके।

# मोनू

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

मोनू पाँचवीं कक्षा का छात्र है, जो अपने माता-पिता, दो भाइयों और एक बहन के साथ रहता है। उसके माता-पिता दोनों मजदूरी का काम करते हैं और उसका 28 वर्षीय भाई भी मजदूरी करता है। मोनू पिछले कुछ महीनों से विभिन्न तरह की चुनौतियों और अपने दोस्तों के साथ नशे का सेवन करने जैसे बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने इत्यादि के कारण स्कूल नहीं गया। मोनू को पुलिस थाने लाया गया था जहाँ उसने एक घर से महीने भर पहले चोरी करने की बात को खुद स्वीकार किया। इस संदर्भ में जाँच अधिकारी के साथ बातचीत की गई क्योंकि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत यह एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। परिणाम स्वरुप इस मामले में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआई नहीं दर्ज़ की गई; इसकी बजाय इस कथित अपराध को किशोर न्याय अधिनियम के नियम 8 (1) के तहत सामान्य दैनिक डायरी में लिखा गया। इसके साथ ही इस मामले की जानकारी किशोर न्याय बोर्ड के साथ साझा की गई।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

इस मामले में जाँच अधिकारी को प्रोत्साहित किया गया कि वे जरूरी पेपरवर्क पूरा करने के बाद बच्चे को पिता की संरक्षा में भेज दें। वर्तमान में इस मामले की प्रक्रिया किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। विद्यालय में मोनू का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए अनुश्रवण की प्रक्रिया पर ध्यान दिया गया। औपचारिक शिक्षा में मोनू की भावनात्मक समस्याओं का समाधान करने प्रयास जारी हैं और उसे अपनी रुचि के खेल प्रतिस्पर्धा में शामिल होने को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। मोनू के माता-पिता के साथ लगातार बातचीत जारी है ताकि उसका नियमित रुप से विद्यालय जाना जारी रहे और माता-पिता के कार्य की अवधि में आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके।

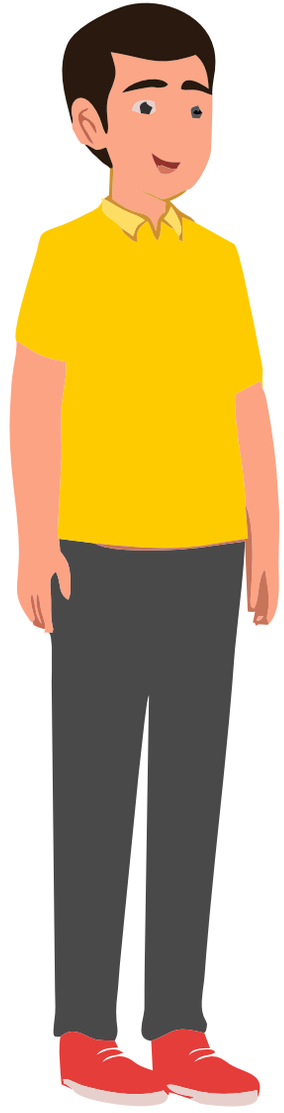

## भविष्य के लक्ष्य

- शिक्षा में मोनू की रुचि बनाये रखने के लिए अनुश्रवण की प्रक्रिया जारी रहेगी और समाज में उसके स्वस्थ व जिम्मेदार सदस्य के रूप में पुनःएकीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जायेगा।

- मोनू के जीवन पर सकारात्मक असर के लिए औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ कुथ व्यावहारिक गतिविधियों में भी उसे शामिल करने की आवश्यकता होगी।

# राहुल

## कानूनी तंत्र के साथ पहला संपर्क

राहुल अपने माता-पिता, एक भाई और एक बहन के साथ रहता है। उसकी बहन ने 11वीं कक्षा के बाद सिलाई का काम करने के लिए पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसका छोटा भाई आठवीं कक्षा में पढ़ रहा है। राहुल के माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ राहुल परिवार की आर्थिक तौर पर मदद के लिए एक टेंट हाउस में काम भी करता है। राहुल का मामला हमारे पास आया जब उसे पुलिस थाने में कथित छेड़छाड़ के मामले में लाया गया था। किशोर न्याय अधिनियम द्वारा निर्धारित जरूरी फार्म को भरने के लिए जाँच अधिकारी को मदद प्रदान की गई, उदाहरण के तौर पर सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट जिससे किशोर न्याय बोर्ड को बच्चे की परिस्थिति को समझने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद उसे थाने से रिहा कर दिया गया था।

## डायवर्जन कार्यक्रम से मिली सहायता

राहुल के पिता से चर्चा के बाद पता चला कि यह घटना राहुल के साथ के एक अन्य बच्चे द्वारा प्रेरित थी। राहुल के साथ बातचीत की गई, इस प्रक्रिया में उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने की प्रतिबद्धता को साझा किया। इसके साथ ही उसने घर के काम में भी मदद करने की बात कही। किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से राहुल के मामले में विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई। यह मामला वर्तमान में चल रहा है और राहुल ने सफलता के साथ परिवार में समायोजन कर लिया है और अनुश्रवण की प्रक्रिया गतिमान है।

## भविष्य के लक्ष्य

- जहाँ राहुल अपने परिवार के साथ रहता है वहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग नशे के सेवन के मामले रोज होते रहते हैं। राहुल अपने सामाजिक वातवरण में बेहतरी के लिए काम करना चाहता है और सामूहिक गतिविधियों, जागरुकता के माध्यम से लोगों को सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित करना चाहता है।

- राहुल की पढ़ाई और सामाजिक गतिविधियों में सतत भागीदारी के अवसर देना ताकि वह समाज में पूरी तरह से समायोजित हो सके।

- राहुल व उसके परिवार को तैयार करना ताकि पढ़ाई के साथ-साथ परिवार की गतिविधियों में उसकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

# डायवर्जन कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां

01 इसकी पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि जुलाई-2023 में हासिल हुई, जब सतत सहयोग के बाद पुलिस द्वारा सात बच्चों की सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट (फार्म-1) को नियम-8 (1) के तहत निर्धारित समयावधि में भरी गई। किशोर न्याय बोर्ड के साथ मिलकर होने वाले प्रयासों से प्रधान मजिस्ट्रेट ने निर्णय लिया कि वे किसी मामले की सुनवाई तभी करेंगे जब पुलिस की तरफ से सामाजिक पृष्ठभुमि वाली रिपोर्ट जमा हो जायेगी। हमारे अवलोकन में यह बात सामने आई है कि इस बात को सभी पुलिस थानों में कथित रुप से विधि के साथ संघर्ष वाले सभी बच्चों के मामले में क्रियान्वित किया जा रहा है।

02 हमारे पूर्व के अवलोकन में यह बात आई थी कि बच्चों के खिलाफ अधिकांश मामलों में एफआईआर दर्ज किया जाता थाा। हालांकि मॉडल रुल्स के नियम संख्या-8 (1) के तहत बच्चों से संबंधित मामलों को केवल सामान्य दैनिक डायरी में ही लिखना अनिवार्य है। पुलिस और किशोर न्याय बोर्ड के आपसी सहयोग से होने वाले प्रयासों से इससे संबंधित व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान करना संभव हुआ है। **5 अक्टूबर 2023 को चकरभाठा पुलिस थाने में एक बच्चे से संबंधित मामले में एफआईआर नहीं लिखी गई और इसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा भी स्वीकार किया गया, कार्यक्रम के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था।** वर्तमान में डायवर्जन के तीन मामले पूरे हो चुके हैं।

03 हम जाँच अधिकारियों के साथ फार्म-42 को लेकर काम कर रहे हैं (ताकि रात्रिकालीन स्थिति में भी बच्चे को किसी संप्रेक्षण गृह या संस्थान में रखा जाए जहाँ बालकों की देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके) और सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस नियम की अनुपालना सुनिश्चित हो। इस संदर्भ में फॉर्म की एक प्रति उपलब्ध कराई गई है।

Chhattisgarh

## UNICEF and Counsel to Secure Justice join hands with Bilaspur Police for Nijaat Abhiyan

Dispatch News • June 2, 2023 0 5,028 1 minute read

Raipur: Bilaspur Police's "Nijaat Abhiyan" is aimed at keeping children and young people away from substance abuse and protecting them from the adverse effects of addiction. In this campaign, international organizations, UNICEF and Counsel to Secure Justice, have joined hands to work specifically for the children of the global community. Together, they will strive to bring offenders and addicted youth, especially children, out of the realm of crime and substance abuse and integrate them into mainstream society.

A one-day seminar was organized yesterday at the Prayer Hall in the city, with the presence of SP Santosh Singh, Additional SP Rajendra Jaiswal, Rahul Dev Sharma, Sandeep Kumar Patel, Pooja Kumar, C.D. Lahre, and the police station in-charges and staff members of the district, by UNICEF For Every Child and Counsel to Secure Justice organization. The seminar focused on providing information on the behavior of police officers and employees, legal

04 अतीत में, जाँच के दौरान संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर रहने वाले बच्चों के लिए 'संप्रेक्षण गृह वारंट' फार्म को भरा जाता था और बोर्ड द्वारा संप्रेक्षण गृह को भेजा जाता था। इसके बारे में प्रधान मजिस्ट्रेट के साथ चर्चा के बाद किशोर न्याय अधिनियम, 2015 और आदर्श नियम, 2016 के अनुसार बच्चों को संप्रेक्षण गृह या सुरक्षित स्थान पर फार्म संख्या-4 भरने के बाद ही भेजा जाता है, क्योंकि आदर्श नियम के अनुसार फार्म-4 का भरा जाना अनिवार्य है।

05 आदर्श नियम, 2016 के नियम 8 (2) के अनुसार परिवीक्षा अधिकारी को बच्चों की हिरासत से संबंधित किसी भी मामले में तुरंत सूचित किया जाना आवश्यक है। परिवीक्षा अधिकारी (PO) और जाँच अधिकारी (IO) के बीच संवाद को बेहतर करने की दिशा में पहल की गई और हमने अपने अवलोकन में पाया कि उपरोक्त चार थानों में इस प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

06 सरकण्डा पुलिस थाने में एक कमरे को पुलिस अधीक्षक के उदार सहयोग से बाल-मित्र कक्ष के रूप में विकसित किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़

Trending

## बिलासपुर पुलिस का यूनीसेफ एवं सीएसजे संस्था के साथ बच्चों से संबंधित अधिकारों और डायवर्जन प्रक्रिया पर संबंधित विभागों के प्रमुखों के साथ किया गया बैठक

Manish Tiwari • अक्टूबर 18, 2023 0 5,499 2 minutes read

ऐसे बच्चों को जे.जे. एक्ट तथा बच्चों से संबंधित अन्य प्रावधानों के माध्यम से अपराध की दिशा में बढ़ने से रोककर उनके उचित विकास हेतु विधि द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का पालन करते हुये विधि से संघर्षरत् बालकों को समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित करना डायवर्जन प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है।

*बिलासपुर पुलिस के द्वारा नशे के विरूद्ध संचालित कार्यक्रम "निजात" के तहत बच्चों में नशा प्रवृत्ति रोकने निजात अभियान के संयुक्त तत्वाधान में यूनीसेफ तथा सीएसजे ( काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस ) संस्था के द्वारा बच्चों के लिए डायवर्जन प्रक्रिया के संबंध में आज मीटिंग का आयोजन पुलिस लाईन बिलासा गुड़ी मीटिंग हॉल में किया गया। बिलासगुड़ी में आयोजित कन्वर्जेंस मीटिंग में यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ चेतना देसाई ने बताया कि डायवर्जन प्रक्रिया समाज के ऐसे बच्चों के लिए है जो अपराध की दिशा में उन्मुख हुये हैं, तथा पर्याप्त देखरेख तथा संरक्षण के अभाव में अपराध के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं,

THE SUNDAY STANDARD

## Unicef, C'garh launch drive against drugs

बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर

## बिलासपुर पुलिस के साथ फील्ड में उतरा यूनिसेफ व काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस संगठन

## Collective efforts stressed to protect children's rights

STAFF REPORTER
BILASPUR

Officials on Wednesday stressed the need for collective efforts to protect the rights of children in conflict with law and their rehabilitation.

They said this at a meeting held in Chhattisgarh's Bilaspur district under the anti-drug Nijaat Abhiyan of the police.

Government officials, police personnel, UNICEF and officials from concerned private organisations were present.

At the meeting, detailed discussions were held on how children struggling with the law can be brought into the mainstream through joint efforts and by giving them the benefits of welfare schemes. UNICEF's child protection specialist, Chetna Desai, spoke about their rehabilitation.

The meeting was briefed about the efforts being made under the Nijaat campaign. Bilaspur Superintendent of Police Santosh Kumar Singh spoke about the objectives of the campaign and hailed it as an important step towards weaning children from crime.

## निजात अभियानः यूनिसेफ और सीजी एसीकॉन के एक्सपर्ट्स ने दी ट्रेनिंग

## देखरेख व संरक्षण के अभाव में अपराध के क्षेत्र में बच्चे बढ़ रहे

क्राइम रिपोर्टर | बिलासपुर

पुलिस ने पुलिस के निजात अभियान के संयुक्त तत्वाधान में यूनिसेफ व सीएसजे (काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस) संस्था के साथ मिलकर बच्चों से संबंधित डायवर्जन प्रक्रिया पर लाइन के आडिटोरियम में तृतीय चरण का एक दिवसीय कार्यशाला हुई। इसमें कॉलेज, स्कूल, एनजीओ तथा पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी हुए शामिल। कार्यक्रम में बच्चों के लिए डायवर्जन प्रक्रिया को अपराध से दूर करने व समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का माध्यम बताया गया। यूनिसेफ के राज्य प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि बच्चों के डायवर्जन प्रक्रिया समाज के ऐसे बच्चों के लिए है जो अपराध की दिशा में उन्मुख हुए हैं तथा पर्याप्त देखरेख व संरक्षण के अभाव में अपराध के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों को जेजे एक्ट व अन्य प्रावधानों के माध्यम से अपराध की दिशा में बढ़ने से रोककर उनके उचित विकास के लिए समाज के मुख्य धारा से जोड़कर उनका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। एसपी संतोष कुमार सिंह ने कार्यक्रम व योजना के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की। यूनिसेफ की टीम ने किशोर न्याय अधिनियम (जेजेएक्ट) के प्रावधानों के बारे में बताया। पुलिस व विभिन्न किशोर संबंधित एजेंसी के बीच समन्वय के मुद्दों को बताया और चेकलिस्ट दिया गया। कार्यशाला में चेतना देसाई बाल संरक्षण विशेषज्ञ यूनिसेफ, गीतांजलि दास यूथ एंड स्पोर्ट्स कंसल्टेंट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिसेफ, निमिशा श्रीवास्तव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस, उर्वशी तिलक डायरेक्टर काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस, रामनारायण वर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट डायवर्सन, एसपी (सिटी) राजेंद्र जायसवाल, एसपी ग्रामीण राहुल देव शर्मा, सीएसपी सिटी कोतवाली पूजा कुमार, डीएसपी हेड क्वार्टर राजेश श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद रहे।

## बिलासपुर पुलिस के निजात अभियान से जुड़ी यूनिसेफ व सीएसजे संस्था, बाल अपराधियों का करेगी डायवर्जन

## बच्चों को अपराध से दूर रखने सभी विभाग को मिलकर करना होगा काम: एसपी

पुलिस का यूनीसेफ और सीएसजे के साथ बच्चों के अधिकार पर चर्चा

## कानूनी लड़ाई से बच्चों का भविष्य बचाना डायवर्जन प्रक्रिया का उद्देश्य

16 पत्रिका patrika.com बिलासपुर, गुरुवार, 19 अक्टूबर 2023

ब्रीफ न्यूज

## बाल अपराध में बच्चों के अधिकारों को लेकर संगठनों से की गई चर्चा

दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 19-10-2023

बिलासपुर

चिंता • पुलिस का यूनिसेफ व सीएसजे से जुड़े विभागों की हुई कार्यशाला, एसपी की मौजूदगी में अधिकारों व डायवर्जन प्रक्रिया पर हुई चर्चा

## बच्चों को नशे से बचाने व अपराध से बचाने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर दिया जोर

साथ मिलकर काम करें संस्थाएं

बिलासपुर

चिंता • पुलिस का यूनिसेफ व सीएसजे से जुड़े विभागों की हुई कार्यशाला, एसपी की मौजूदगी में अधिकारों व डायवर्जन प्रक्रिया पर हुई चर्चा

बच्चों को नशे से बचाने व अपराध से बचाने समाज की मुख्य धारा से जोड़ने पर दिया जोर

साथ मिलकर काम करें संस्थाएं

## देखरेख के अभाव में अपराध की ओर मुड़ रहे बच्चे, मुख्यधारा से जोड़ने का हो प्रयास

यूनिसेफ और स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों की बैठक में बच्चों को अपराध से दूर करने पर की चर्चा

बैठक को संबोधित करते हुए एसपी संतोष कुमार।

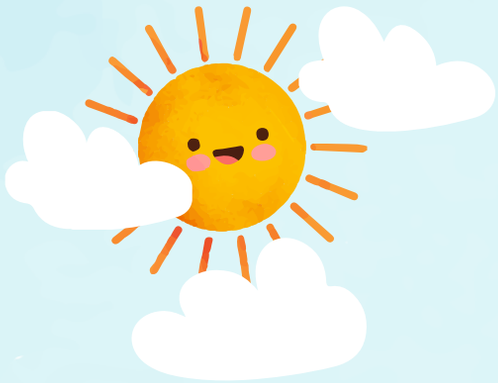

CSJ
Counsel to
Secure Justice
बिलासपुर पुलिस
unicef
for every child